



हरियाणा विधान सभा

चौदहवीं विधान सभा

दिसंबर 2023

कार्य सूची

18 दिसम्बर 2023

1. प्रश्न

(1) पृथक सूची में दर्ज प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उत्तर दिए जाएंगे।

2. शून्य काल

3. ध्यानाकर्षण सूचना

(1)

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-15 जिसकी सूचना-श्री अभय सिंह चौटाला, एम.एल.ए. द्वारा दी गई है।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-23 श्री बलराज कुंडू, एम.एल.ए. द्वारा दी गई, सूचना को समान/समरूप विषय वस्तु होने पर स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 15 के साथ क्लब कर दिया गया है।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-29 श्री नीरज शर्मा, एम.एल.ए. द्वारा दी गई, सूचना को समान/समरूप विषय वस्तु होने पर स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 15 के साथ क्लब कर दिया गया है।

स्थगन प्रस्ताव संख्या 1 को ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-55, में परिवर्तित कर दिया है जिसकी सूचना- (i) श्री बिशन लाल सैनी, एम.एल.ए.(ii) श्री वरुण चौधरी, एम.एल.ए (iii) श्री मेवा सिंह, एम.एल.ए.(iv) श्री भारत भूषण बतरा, एम.एल.ए (v) श्री कुलदीप वत्स, एम.एल.ए (vi) श्री जगबीर सिंह मलिक, एम.एल.ए (vii) श्रीमती रेनु बाला, एम.एल.ए (viii) श्री शीशपाल सिंह, एम.एल.ए.(ix) श्रीमती शैली, एम.एल.ए.(x) श्रीमती शकुन्तला खटक, एम.एल.ए.(xi) श्री आफताब अहमद, एम.एल.ए.(xii) राव दान सिंह, एम.एल.ए. तथा (xiii) श्रीमती गीता भुक्कल, एम.एल.ए.द्वारा दी गई है, को समान/समरूप विषय वस्तु होने पर स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 15 के साथ क्लब कर दिया गया है।

राज्य में नवम्बर, 2023 में जहरीली/नकली शराब के पीने के कारण यमुनानगर तथा अम्बाला जिले में 22 व्यक्तियों की मौत से संबंधित।

माननीय सदस्य भी ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 15 पर चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकते हैं।

माननीय सदस्य भी ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 15 पर चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकते हैं।

माननीय सदस्य श्री बिशन लाल सैनी भी प्रथम हस्ताक्षरी होने के नाते ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 15 पर चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकते हैं।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-44श्रीमती किरण चौधरी, एम.एल.ए. द्वारा दी गई, सूचना को समान/समरूप विषय वस्तु होने पर स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 15 के साथ क्लब कर दिया गया है।

माननीय सदस्या भी ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 15 पर चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकती हैं।

4. वर्ष 2019—20, 2020-21, तथा 2021-22 के लिए अनुदानों और विनियोगों से अधिक मांगों पर प्रस्तुतीकरण, चर्चा तथा मतदान ।

(1)

वित्त मंत्री वर्ष 2019-20, 2020-21 तथा 2021-22 के लिए अनुदानों और विनियोगों से अधिक मांगों को प्रस्तुत करेंगे ।

(2) वर्ष 2019—20 के लिए मांगें ।

(i)

मांगसंख्या एक 8 मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि **भवन एवं सड़कें** के संबंध में वर्ष 2019-20 के दौरान विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान से अधिक किए गए खर्च को विनियमित करने के लिए ₹ 126,99,64,859/- तक की राशि का अनुदान स्वीकृत किया जाए। वर्ष 2019-20 के अनुदानों और विनियोगों से अधिक मांगेपृष्ठ 1

(ii)

मांग संख्या एक 23 मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि **खाद्य एवं आपूर्ति** के संबंध में वर्ष 2019-20 के दौरान विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान से अधिक किए गए खर्च को विनियमित करने के लिए ₹ 26,39,64,601/- तक की राशि का अनुदान स्वीकृत किया जाए। वर्ष 2019-20 के अनुदानों और विनियोगों से अधिक मांगेपृष्ठ 2

(3) वर्ष 2020— 21 के लिए मांगें ।

(i)

मांग संख्या 35 एक मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि पर्यटन के संबंध में वर्ष 2020-21 के दौरान विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदानों से अधिक किए गए खर्च को विनियमित करने के लिए ₹21,92,63,603/- तक की राशि का अनुदान स्वीकृत किया जाए। वर्ष 2020-21 के अनुदानों और विनियोगों से अधिक

पृष्ठ 5

(4) वर्ष 2021-22 के लिए मांगें ।

(i)

मांग संख्या 7 एक मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि आयोजना तथा सांख्यिकी के संबंध में वर्ष 2021-22 के दौरान विधान वर्ष 2021-22 के अनुदान से अधिक किए गए खर्च को विनियमित करने के लिए अनुदानों और विनियोगों से अधिक मांगे पृष्ठ 9-10 तक की राशि का अनुदान स्वीकृत किया जाए।

5. वर्ष 2 0 2 3 -
2024 के लिए अनुपूरक अनुमान (द्वितीय किस्त) तथा उन पर प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना ।

(1)

वित्त मंत्री 2023-2024 के लिए अनुपूरक अनुमान (द्वितीय किस्त) प्रस्तुत करेंगे।

(2)

चेयरपर्सन, प्राक्कलन समिति 2023-2024 के लिए अनुपूरक अनुमान (द्वितीय किस्त) पर प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

6. 2023-2024 के अनुपूरक अनुमान (द्वितीय किस्त)।

(1)

- राज्य के राजस्व परप्रभारित व्यय के अनुमानों पर चर्चा।
- अनुपूरक अनुदानों के लिए मांगों पर चर्चा तथा मतदान।

मांग संख्या 3 प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹51,19,00,000/- तथा पूंजीगत खर्च के लिए ₹6,39,41,268/- से अधिक न हो, मांग संख्या 3-सामान्य प्रशासन/ निर्वाचन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए। अनुपूरक अनुमान 2023-24 (द्वितीय किस्त) पृष्ठ संख्या 1-6

मांग संख्या 4	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹1,00,000/- से अधिक न हो, मांग एक संख्या 4-राजस्व और आपदा प्रबन्धन/अग्निशमन कार्यालय (अग्निशमन सेवाएं)/आबकारी एवं कराधान मंत्री के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान2023-24(द्वितीय किस्त)पृष्ठ संख्या 7-9
मांग संख्या 5	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹1,00,000/- से अधिक न हो, मांग एक संख्या 5-गृह (गृह रक्षी एवं नागरिक सुरक्षा/जेल (कारागार)/न्याय प्रशासन (उच्च न्यायालय/ मंत्री अभियोजन/एजीओटी/कानूनी सेवा प्राधिकरण) के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान2023-24(द्वितीय किस्त)पृष्ठ संख्या 10-13
मांग संख्या 6	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹3,54,82,865/- से अधिक न हो, मांग एक संख्या 6- वित्त तथा संस्थागत वित्त और ऋण नियंत्रण/आपूर्ति एवं निपटान/आयोजना तथा मंत्री सांख्यिकी (डी.ई.एस.ए.) के सम्बन्ध में 31मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुमान2023-24(द्वितीय किस्त)पृष्ठ संख्या 14-18
मांग संख्या 10	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹286,61,65,000/- से अधिक न हो, मांग एक संख्या 10-कृषि एवं किसान कल्याण/बागवानी/पशुपालन और डेयरी विकास/मत्स्य पालन/खान एवं भूविज्ञान/ पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुमान2023-24(द्वितीय किस्त)पृष्ठ संख्या 19-23
मांग संख्या 12	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹59,33,20,000/- तथा पूंजीगत खर्च के लिए ₹74,72,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या 12- शिक्षा (माध्यमिक/ प्राथमिक)/उच्च शिक्षा (उच्च/तकनीकी/ विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी)/महिला एवं बाल विकास के सम्बन्ध में 31मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुमान 2023-24(द्वितीय किस्त) पृष्ठ संख्या 24-36
मांग संख्या 15	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹1,00,000/-से अधिक न हो, मांग एक संख्या 15-श्रम/युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता (कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण/रोजगार/युवा मामले)के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुमान2023-24(द्वितीय किस्त)पृष्ठ संख्या 37-39
मांग संख्या 17	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो पूंजीगत खर्च के लिए ₹221,89,00,000/- से अधिक न हो, मांग एक संख्या 17-लोक निर्माण (भवन व सड़कें)/परिवहन/नागर विमानन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान2023-24(द्वितीय किस्त)पृष्ठ संख्या 40-44
मांग संख्या 19	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹1126,25,00,000/- से अधिक न हो, मांग एक संख्या 19-ऊर्जा विभाग (विद्युत/नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा)/उद्योग एवं वाणिज्य/ एमएसएमई/ मंत्री सिंचाई एवं जल संसाधन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान2023-24(द्वितीय किस्त)पृष्ठ संख्या 45-49
मांग संख्या 20	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹260,10,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या 20- नगर तथा ग्राम आयोजना/शहरी सम्पदा (शहरी विकास)/शहरी स्थानीय निकाय(स्थानीय सरकार)/विकास और पंचायत (ग्रामीण विकास)/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान2023-24(द्वितीय किस्त)पृष्ठ संख्या 50-59

7. विधायी कार्य (विचार तथा पारित किये जाने वाले विधेयक)

(1)

हरियाणा बकाया देय व्यवस्थापन (संशोधन) विधेयक, 2023. एक प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा बकाया देय व्यवस्थापन (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार मंत्री किया जाए; यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

(2)

हरियाणा पिछड़े वर्ग (सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले में आरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023. एक प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा पिछड़े वर्ग (सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले में आरक्षण) संशोधन विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए; यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

(3)

हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023. एक प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया मंत्री जाए; यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

Chandigarh-160001
दिनांक: १५ दिसम्बर २०२३

राजेन्द्र कुमार नांदल
सचिव
हरियाणा विधान सभा



HARYANA VIDHAN SABHA

14th Legislative Assembly
December Session 2023

List Of Business

18 December 2023

11:00 AM

1.

QUESTIONS.

(1) Questions entered in the separate list to be asked and answers given thereupon.

2.

ZERO HOUR.

3.

CALLING ATTENTION NOTICE

(1)

Calling Attention Notice No. 15 Notice given by **Shri Abhay Singh Chautala, MLA**

Regarding Death of 22 Persons in Yamunanagar and Ambala district due to consumption of spurious/ illicit liquor in November 2023 in the State.

Calling Attention Notice No. 23 Notice given by **Shri Balraj Kundu, MLA** clubbed with admitted **Calling Attention Notice No. 15** being similar/ identical subject matter.

The Hon'ble Member may also ask a question at the time of discussion on the Calling Attention Notice No. 15.

Calling Attention Notice No. 29 Notice given by **Shri Neeraj Sharma, MLA** clubbed with admitted **Calling Attention Notice No. 15** being similar/ identical subject matter.

The Hon'ble Member may also ask a question at the time of discussion on the Calling Attention Notice No. 15.

Adjournment Motion No. 1 converted into Calling Attention Notice No. 55 Notice given by

1. Shri Bishan Lal Saini, MLA
2. Shri Varun Chaudhary, MLA
3. Shri Mewa Singh, MLA
4. Shri Bharat Bhushan Batra, MLA
5. Shri Kuldeep Vats, MLA
6. Shri Jagbir Singh Malik, MLA

Shri Bishan Lal Saini, Hon'ble Member being first the

7. Smt. Renu Bala, MLA
8. Shri Shishpal Singh, MLA
9. Smt. Shalley, MLA
10. Smt. Shakuntla Khatak, MLA
11. Shri Aftab Ahmed, MLA
12. Rao Dan Singh, MLA
13. Smt. Geeta Bhukkal, MLA,

signatory may also ask a question at the time of discussion on the Calling Attention Notice No. 15.

clubbed with admitted Calling Attention Notice No. 15 being similar/ identical subject matter.

Calling Attention Notice No. 44 Notice given by **Shri Neeraj Sharma, MLA** clubbed with admitted **Calling Attention Notice No. 15** being similar/ identical subject matter.

The Hon'ble Member may also ask a question at the time of discussion on the Calling Attention Notice No. 15.

4.

PRESENTATION, DISCUSSION AND VOTING ON THE EXCESS DEMANDS OVER GRANTS AND APPROPRIATIONS FOR THE YEAR 2019-2020, 2020-2021 AND 2021-2022.

(1)

THE FINANCE
MINISTER

to present the Excess Demands Over Grants and Appropriations for the years 2019-20, 2020-2021 and 2021-22.

(2)

(i) **Demands for the year 2019-20**

(i)

Demand A

No. 08

MINISTER the Legislative Assembly for the year 2019-20 in respect of **Buildings and Roads.**

Roads.

Excess over Grants

to move that a grant of a sum not exceeding ₹ 126,99,64,859/- be made and Appropriations to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by for the year 2019-

(ii)

Demand A to move that a grant of a sum not exceeding ₹26,39,64,601/- be made to Excess over Grants
regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by and Appropriations
No. 23 MINISTER the Legislative Assembly for the year 2019-20 in respect of Food and 20.
Supplies.

Page 2

(3)

(ii) Demands for the year 2020-21.

(i)

Demand A to move that a grant of a sum not exceeding ₹21,92,63,603/- be made to Excess over Grants
regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by and Appropriations
No. 35 MINISTER the Legislative Assembly for the year 2020-21 in respect of Tourism.

Page 5

(4)

(iii) Demands for the year 2021-22.

(i)

Demand A to move that a grant of a sum not exceeding ₹63,43,10,825/- be made to Excess over
regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Grants and
No. 7 MINISTER Legislative Assembly for the year 2021-22 in respect of Planning and Appropriations for
Statistics. the year 2021-22.

Page 9

5.

**PRESENTATION OF SUPPLEMENTARY ESTIMATES (SECOND
INSTALLMENT) FOR THE YEAR 2023-2024 AND REPORT OF THE
COMMITTEE ON ESTIMATES THEREON.**

(1)

THE FINANCE MINISTER to present the Supplementary Estimates (Second Installment) 2023-2024.

(2)

THE CHAIRPERSON, COMMITTEE to present the Report of the Committee on Estimates on the Supplementary
ON ESTIMATES Estimates (Second Installment) 2023-2024.

6. SUPPLEMENTARY ESTIMATES (SECOND INSTALMENT) FOR THE YEAR 2023-24.

(1)

1. Discussion on the Estimates of expenditure charged on the revenue of the State.
2. Discussion and Voting on the Demands for Supplementary Grants.

			Supplementary
			Estimates
Demand A	to move that a supplementary sum not exceeding ₹ 51,19,00,000/- for Revenue	2023-24	
No. 3	MINISTER expenditure and ₹ 6,39,41,268/- for Capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2024 in respect of Demand No. 3-General Administration/ Elections.	(2nd Installment)	
			Page 1-5
			Supplementary
			Estimates
Demand A	to move that a supplementary sum not exceeding ₹ 1,00,000/- for Revenue	2023-24	
No. 4	MINISTER expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2024 in respect of Demand No. 4-Revenue & Disaster Management/ Fire Office (Fire Services)/Excise & Taxation.	(2nd Installment)	
			Page 6-7
			Supplementary
			Estimates
Demand A	to move that a supplementary sum not exceeding ₹ 1,00,000/- for Revenue	2023-24	
No. 5	MINISTER expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2024 in respect of Demand No. 5- Home/(Home Guard & Civil Defence) / Jails (Prisons)/Administration of Justice (HighCourt/Prosecution/AGOT / Legal Services Authority).	(2nd Installment)	
			Page 8-10
			Supplementary
			Estimates
	to move that a supplementary sum not exceeding ₹ 3,54,82,865/- for Revenue		

Demand No. 6	A MINISTER	<p>expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2024 in respect of Demand No. <u>6-Finance and Institutional Finance & Credit Control/ Supplies & Disposals/ Planning and Statistics (DESA).</u></p>	<p>2023-24 (2nd Installment) Page 11-14 Supplementary</p>
Demand No. 10	A MINISTER	<p>to move that a supplementary sum not exceeding ₹ 286,61,65,000/- for Revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2024 in respect of <u>Demand No. 10- Agriculture and Farmers Welfare/ Horticulture/Animal Husbandry and Dairying Development/ Fisheries/ Mines and Geology/ Environment. Forest and Wildlife.</u></p>	<p>Estimates 2023-24 (2nd Installment) Page 15-18 Supplementary</p>
Demand No. 12	A MINISTER	<p>to move that a supplementary sum not exceeding ₹ 59,33,20,000/- for Revenue expenditure and ₹ 74,72,00,000/- for Capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2024 in respect of <u>Demand No. 12-Education(Secondary/ Elementary)/ Higher Education (Higher, Technical, Science & Technology)/ Women and Child Development.</u></p>	<p>Estimates 2023-24 (2nd Installment) Page 19-28 Supplementary</p>
Demand No. 15	A MINISTER	<p>to move that a supplementary sum not exceeding ₹ 1,00,000/- for Revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2024 in respect of <u>Demand No. 15- Labour / Youth Empowerment & Entrepreneurship (Skill Development & Industrial Training, Employment, Youth Affair).</u></p>	<p>Estimates 2023-24 (2nd Installment) Page 29-30 Supplementary</p>
Demand No. 17	A MINISTER	<p>to move that a supplementary sum not exceeding ₹ 221,89,00,000/- for Capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2024 in respect of <u>Demand No. 17- Public Works (Building and Roads)/ Transport/ Civil Aviation.</u></p>	<p>Estimates 2023-24 (2nd Installment) Page 31-34 Supplementary</p>
Demand No. 19	A MINISTER	<p>to move that a supplementary sum not exceeding ₹ 1126,25,00,000/- for Revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2024 in respect of <u>Demand No. 19-Energy Department (Power, New and Renewable Energy)/ Industries & Commerce/ MSME/ Irrigation and Water Resources</u></p>	<p>Estimates 2023-24 (2nd Installment) Page 35-38 Supplementary</p>
Demand No. 20	A MINISTER	<p>to move that a supplementary sum not exceeding ₹ 260,10,00,000/- for Revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2024 in respect of <u>Demand No. 20- Town & Country Planning/ Urban Estates (Urban Development)/ Urban Local Bodies (Local Government)/ Development & Panchayats (Rural Development)/ Public Health Engineering.</u></p>	<p>Estimates 2023-24 (2nd Installment) Page 39-46</p>

7. LEGISLATIVE BUSINESS.(Bills for consideration and passing)

(1)

The Haryana Settlement of Outstanding Dues (Amendment) Bill, 2023. A MINISTER to move that the Haryana Settlement of Outstanding Dues (Amendment) Bill be taken into consideration at once; Also to move that the Bill be passed.

(2)

The Haryana Backward Classes (Reservation in Services and Admission in Educational Institutions) Amendment Bill, 2023. A MINISTER to move that the Haryana Backward Classes (Reservation in Services and Admission in Educational Institutions) Amendment Bill be taken into consideration at once; Also to move that the Bill be passed.

(3)

The Haryana Private Universities (Amendment) Bill, 2023. A MINISTER to move that the Haryana Private Universities (Amendment) Bill be taken into consideration at once; Also to move that the Bill be passed.

Chandigarh-160001

Date:15/Dec/2023

Rajender Kumar Nandal
Secretary
HARYANA VIDHAN SABHA